कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 298/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 31.07.2026

थाना – साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

• 15.50 लाख रुपये की साइबर ठगी से जुड़े 13 NCRP शिकायतों वाला शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार

• फर्जी कॉल, कॉन्ट्रैक्ट और मनी क्रेडिट मैसेज के जरिए करता था ठगी, मोबाइल व नकदी बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) **चिराग जैन**, अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) **पंकज श्रीवास्तव** के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम **आस्था जायसवाल** के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त संदिग्ध मोबाइल नम्बर **7607258498** की जांच के दौरान उक्त नम्बर पर विभिन्न राज्यों से दर्ज कई **NCRP शिकायतें** प्राप्त हुईं। सीडीआर एवं समन्वय पोर्टल के विश्लेषण में उक्त मोबाइल नम्बर एवं उससे संबंधित IMEI पर कुल **13 NCRP शिकायतें** दर्ज मिलीं, जो लगभग **15.50 लाख रुपये** की साइबर ठगी से संबंधित हैं।

जांच के दौरान मोबाइल नम्बर के धारक की पहचान **पंकज सिंह** निवासी ग्राम सरायवृन्दावन, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई। दिनांक **30.07.2026** को थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को उसके गांव स्थित ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से **एक मोबाइल फोन** एवं **₹1,350 नगद** बरामद हुआ। साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना साइबर क्राइम पर **मु0अ0सं0 36/2026** धारा **317(2), 318(4), 319(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट** के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह पिछले **4-5 वर्षों** से साइबर ठगी में संलिप्त है। वह **Just Dial** पर उपलब्ध निर्माण उपकरण संचालकों से **L&T, नवी मुंबई का कर्मचारी** बनकर संपर्क करता था तथा जेसीबी, बुलडोजर आदि को कार्य दिलाने के नाम पर ठगी करता था। इसके अतिरिक्त फर्जी **मनी क्रेडिट मैसेज**, सॉफ्टवेयर बेचने के नाम पर धोखाधड़ी तथा साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से क्यूआर कोड पर मंगवाकर नगद प्राप्त करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त :

पंकज सिंह पुत्र स्व. रवि प्रकाश सिंह, निवासी ग्राम सरायवृन्दावन, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र **44 वर्ष**।

बरामदगी :

• 01 अदद मोबाइल फोन
• ₹1,350 नगद

पंजीकृत अभियोग :

मु0अ0सं0 **36/2026**, धारा **317(2), 318(4), 319(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट**, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

प्रभारी निरीक्षक **राजकुमार सिंह**, उ0नि0 **रजत सिंह**, का0 **एजाज खान**, का0 **विकास कुमार**, का0 **संजय कुमार**, का0 **महिपाल यादव** (थाना साइबर क्राइम) एवं का0 **आलोक सिंह** (सर्विलांस सेल)।

थाना – मेहनगर, जनपद आजमगढ़

• जमीनी विवाद में मारपीट के मुकदमे के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

• घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे बरामद, अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेहनगर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। दिनांक **31.07.2026** को थानाध्यक्ष **अभिराज सरोज** के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर **धरनीपुर ईंट भट्ठा** के पास से मु0अ0सं0 **249/2026** धारा **109(1)/3(5)/115(2)/352/351(3)/333 बीएनएस** से संबंधित दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **02 अदद डण्डे** भी बरामद किए गए।

उल्लेखनीय है कि **08.07.2026** को पुरानी रंजिश एवं जमीनी विवाद को लेकर कई व्यक्तियों द्वारा वादी एवं उसके परिजनों के साथ घर में घुसकर लाठी-डण्डा, रॉड एवं गड़ासी से मारपीट की गई थी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस संबंध में थाना मेहनगर पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त :

1. **सुरेन्द्र यादव** पुत्र रामधनी, निवासी ग्राम ठोठिया, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र **30 वर्ष**।
2. **कन्हैया** पुत्र लालता, निवासी ग्राम ठोठिया, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र **57 वर्ष**।

बरामदगी :

• घटना में प्रयुक्त **02 अदद डण्डे**

पंजीकृत अभियोग :

मु0अ0सं0 **249/2026**, धारा **109(1)/3(5)/115(2)/352/351(3)/333 बीएनएस**, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

थानाध्यक्ष **अभिराज सरोज**, व0उ0नि0 **रविन्द्र मिश्रा**, उ0नि0 **मो0 आलम**, हे0का0 **जितेन्द्र यादव**, का0 **विकास यादव**, का0 **विकास पटेल**, का0 **नागेन्द्र यादव** एवं म0का0 **पल्लवी कुँवर**।

थाना – निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

• फरिहा स्थित उत्तर प्रदेश जल निगम स्टोर से चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की गई सरकारी सामग्री बरामद, मुकदमे में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। दिनांक **30.07.2026** को चौकी प्रभारी फरिहा **उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा** मय पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर **गन्धुवई कोल्ड स्टोरेज** के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी में **02 अदद डी-ज्वाईन्ट एवं 06 अदद सिलेण्डर विद लाइनर** बरामद हुए, जो फरिहा स्थित उत्तर प्रदेश जल निगम के स्टोर से चोरी किए गए थे।

उल्लेखनीय है कि दिनांक **28.07.2026** को उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के अधिशासी अभियन्ता द्वारा थाना निजामाबाद पर तहरीर देकर अवगत कराया गया था कि **26.07.2026** की शाम फरिहा स्थित जल निगम स्टोर परिसर से **Cylinder Assembly Complete, Cylinder with Liner, D-Joint तथा अन्य सरकारी सामग्री** अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में थाना निजामाबाद पर **मु0अ0सं0 191/2026** धारा **303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया था। बरामदगी के उपरांत मुकदमे में **धारा 317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त :

मोनू पुत्र नसीम, निवासी ग्राम फरिहा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग **19 वर्ष**।

बरामदगी :

• 02 अदद डी-ज्वाईन्ट

• 06 अदद सिलेण्डर विद लाइनर

पंजीकृत अभियोग :
मु0अ0सं0 **191/2026**, धारा **303(2), 317(2) बीएनएस**, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :
उ0नि0 **चित्रांशु मिश्रा**, का0 **संजीव कुमार शर्मा**, का0 **रवि मौर्य**, रि0का0 **अभिषेक पाण्डेय** एवं रि0का0 **अमन सिंह**, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

थाना – पवई, जनपद आजमगढ़
ऑपरेशन दहन के तहत अपमिश्रित शराब बनाने में प्रयुक्त माल का निस्तारण, लाखों रुपये का मुकदमाती माल नष्ट

पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में मुकदमाती माल के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान **"ऑपरेशन दहन"** के तहत **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में दिनांक 30.07.2026 को **मा० न्यायालय एफटीसी-2, जनपद आजमगढ़** के आदेशानुसार थाना पवई पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 30/2021**, धारा **419/420/467/468/272/273 भादवि एवं 60A/72 आबकारी अधिनियम** से संबंधित मुकदमाती माल का विधिक प्रक्रिया के तहत निस्तारण कराया गया।

निस्तारित किए गए माल में **100 अदद क्यूआर कोड, 1000 सीसी के 100 अदद ढक्कन, 400 लीटर स्प्रिट शराब, 624 पऊवा अपमिश्रित देशी शराब, 07 किलोग्राम यूरिया, 01 किलोग्राम नौसादर, 71 अदद खाली गत्ता, 01 अदद एल्कोहल मीटर, 01 अदद पैकिंग मशीन तथा 12,000 रुपये नकद** शामिल रहे।

मुकदमाती माल का निस्तारण **उपजिलाधिकारी फूलपुर अशोक कुमार** की उपस्थिति में कराया गया। इस दौरान **थानाध्यक्ष पवई मनीष पाल, मुख्य आरक्षी अखिलेश कुमार** सहित थाना पवई के अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। अभियान के तहत मुकदमाती माल का विधिसम्मत निस्तारण कर न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

थाना – बरदह, जनपद आजमगढ़
• नाबालिग से छेड़खानी के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
• बरदह पुलिस ने 42 वर्षीय आरोपी को कम्मरपुर भट्ठे के पास से दबोचा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बरदह पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़खानी के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
पूर्व की घटना—
दिनांक **29.07.2026** को वादिनी ने थाना बरदह पर तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री गांव के जनरल स्टोर से टॉफी लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपी **सिन्दल पुत्र तपसी** ने उसके साथ छेड़खानी किया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर **मु0अ0सं0 259/2026** धारा **74 बीएनएस एवं 9M/10 पॉक्सो एक्ट** के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।
गिरफ्तारी का विवरण—
दिनांक **31.07.2026** को उ0नि0 **पुनीत कुमार श्रीवास्तव** मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **सिन्दल पुत्र तपसी** निवासी ग्राम विजौली, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र **42 वर्ष**, को **कम्मरपुर भट्ठे के पास** से समय करीब **13:00 बजे** गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त—
सिन्दल पुत्र तपसी, निवासी ग्राम विजौली, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र **42 वर्ष**।
पंजीकृत अभियोग—
मु0अ0सं0 **259/2026**, धारा **74 बीएनएस एवं 9M/10 पॉक्सो एक्ट**, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—
- उ0नि0 **पुनीत कुमार श्रीवास्तव,** रि0का0 **अभिषेक गुप्ता,** थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 31 जुलाई 2026, जनपद – आजमगढ़

• वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार की संस्तुति पर 06 आपराधिक प्रवृत्ति के शस्त्र धारकों के लाइसेंस निरस्त

• फर्जी बैनामा, अपहरण, रंगदारी व गैंगस्टर एक्ट के आरोपी बसी उर्हमान का .32 बोर रिवॉल्वर लाइसेंस निरस्त

• थाना रौनापार के 03, बिलरियागंज के 02 एवं मेहनगर के 01 शस्त्र लाइसेंस निरस्त

• वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के कार्यकाल में अब तक 57 शस्त्र लाइसेंस निलंबित/निरस्त

• कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति के लिए खतरा बने शस्त्र धारकों पर आजमगढ़ पुलिस की प्रभावी कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन एवं संस्तुति तथा जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ श्री रविन्द्र कुमार के अनुमोदन के उपरांत जनपद में कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने हेतु अपराधी प्रवृत्ति के शस्त्र लाइसेंस धारकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए 06 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इनमें थाना रौनापार के 03, थाना बिलरियागंज के 02 तथा थाना मेहनगर के 01 शस्त्र लाइसेंस शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के कार्यकाल में अब तक कुल 57 शस्त्र लाइसेंस निलंबित/निरस्त किए जा चुके हैं।

□ थाना बिलरियागंज (02 शस्त्र लाइसेंस निरस्त)

1. बसी उर्हमान पुत्र मंजूर अहमद, निवासी ग्राम गुलवा गौरी

अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 24.04.2023 को मु0अ0सं0 151/2023 धारा 365, 420, 386, 506, 34 भादवि के अंतर्गत अपहरण कर फर्जी बैनामा कराने, रंगदारी, धोखाधड़ी एवं आपराधिक धमकी के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 13.09.2023 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। इसके उपरांत मु0अ0सं0 338/2024 धारा 2(ख)(1), 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए उसके नाम निर्गत .32 बोर रिवॉल्वर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

आपराधिक इतिहास—

- मु0अ0सं0 151/2023 – धारा 365, 420, 386, 506, 34 भादवि (अपहरण, धोखाधड़ी, रंगदारी, आपराधिक धमकी एवं सामूहिक अपराध)।
- मु0अ0सं0 338/2024 – धारा 2(ख)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट (संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य के रूप में अवैध गतिविधियों में संलिप्तता)।

2. आलम पुत्र इफ्तेखार, निवासी मुहम्मदपुर

वर्ष 2017 एवं 2021 में दर्ज गंभीर मुकदमों के आधार पर DBBL बंदूक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

आपराधिक इतिहास—

- मु0अ0सं0 19/2017 – धारा 188 भादवि (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना)।
- मु0अ0सं0 85/2021 – धारा 147, 148, 149, 323, 325, 452, 504, 506 भादवि (बलवा, घातक हथियार से बलवा, अवैध जमाव, मारपीट, गंभीर चोट, घर में घुसकर हमला, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी)।

□ थाना रौनापार (03 शस्त्र लाइसेंस निरस्त)

3. सूर्यदेव यादव पुत्र रामनाथ यादव, निवासी अजगरा मगर्वी

वर्ष 2018 एवं 2024 में दर्ज मुकदमों के आधार पर .315 बोर राइफल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

आपराधिक इतिहास—

- मु0अ0सं0 103/2018 – धारा 147, 447 भादवि (बलवा एवं आपराधिक अतिक्रमण)।
- मु0अ0सं0 07/2024 – धारा 323, 504, 506 भादवि (मारपीट, जानबूझकर अपमान एवं जान से मारने की धमकी)।

4. बृजेश सिंह पुत्र कतवारू, निवासी तुलापुर

वर्ष 2024 एवं 2025 में दर्ज मुकदमों के आधार पर SBBL बंदूक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

आपराधिक इतिहास—

- मु0अ0सं0 416/2024 – धारा 131, 324(4), 352, 351(2) बीएनएस (लोक सेवक के कार्य में बाधा, खतरनाक साधन से चोट, हमला एवं आपराधिक बल प्रयोग)।

- मु0अ0सं0 303/2025 – धारा 115(2), 352, 351(3), 118(1) बीएनएस (स्वेच्छा से चोट, हमला, आपराधिक बल एवं गंभीर अपराध से संबंधित कृत्य)।

5. शिव कुमार पुत्र मेल्हू, निवासी जोकहरा
वर्ष 2018 एवं 2023 में दर्ज मुकदमों के आधार पर SBBL बंदूक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।
आपराधिक इतिहास—

- मु0अ0सं0 200/2018 – धारा 323, 324, 427, 504, 506 भादवि (मारपीट, खतरनाक हथियार से चोट, संपत्ति को नुकसान, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी)।
- मु0अ0सं0 175/2023 – धारा 323, 504, 506 भादवि (मारपीट, अपमान एवं जान से मारने की धमकी)।

□ थाना मेहनगर (01 शस्त्र लाइसेंस निरस्त)

6. अशफाक अहमद पुत्र निजामुद्दीन, निवासी खुटवा चक खुटवा
वर्ष 2026 में दर्ज मुकदमे के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।
आपराधिक इतिहास—

- मु0अ0सं0 132/2026 – धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट (मारपीट, हमला, आपराधिक बल तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित अपराध)।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार का वक्तव्य

"जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों की आपराधिक गतिविधियों से लोकशांति एवं जनसुरक्षा प्रभावित होती है, उनके विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण सहित कठोर वैधानिक कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।"